फाईल नं0-23-9002(002)/3/2021-लोक निर्माण अनुभाग-9

संख्या-183/2021/आई0/ 116188-लोक निर्माण अनुभाग-9

प्रेषक

महेश कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 24 नवम्बर, 2021**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-58 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आाई0डी0एफ0-26 योजनान्तर्गत प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्यो हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति

महोदय,

उपर्युक्त् विषयक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पत्र संख्या-रा0बैं0उ0प्र0क्षे0का0/271/राज्य परियोजना विभाग/ आरआईडीएफ-04/आरआई डीएफ-XXVI/2020-21, दिनांक 25.01.2021 के क्रम में मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-03/40पी0जे0(आ0)/आर.एस.डी.-5/20, दिनांक 18.05.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-58 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0-26 योजनान्तर्गत निम्नलिखित सूची में वर्णित 04 जनपदों यथा कुशीनगर, फतेहपुर, उरई व सिद्धार्थनगर के कुल 07 प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल लम्बई 117.375 कि0मी0, स्तम्भ-8 के अनुसार कुल लागत रू0 2,75,68,18,000/- (रूपये दो अरब पचहत्तर करोड़ अड़सठ लाख अट्ठारह मात्र) (जिसमें 6.875 प्रतिशत अधिष्ठान व्यय, 01 प्रतिशत लेबर सेस, 1.50 प्रतिशत मूल्य ह्रास निधि एवं नियमानुसार जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है), की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष स्तम्भ-9 के अनुसार रू0 50,72,41,000/- (रूपये पचास करोड़ बहत्तर लाख इकतालिस हजार मात्र) की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमशः....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	विधान सभा क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (कि. मी.)	निर्माण लागत	05 वर्ष अनुरक्षण लागत	नाबार्ड द्वारा अनुमोदित कुल लागत (टी0एफ0 ओ0)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कुशीनगर	तमकुही	तमकुही सिसवा नाहर अहिरौलीदान मार्ग (अ0जि0 मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	22.300	5432.660	490.040	5922.700	1086.530
2	फतेहपुर	फतेहपुर	रक्षपालपुर से बिछियावॉ, कनवार, जी.टी. रोड तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	16.800	3245.820	273.890	3519.710	649.160
3	उरई	माधौगढ़	बंगरा जगम्मनपुर मार्ग से रामपुरा से निनावली नरौल राठौरपुरा होते हुये म0प्र0 की सीमा तक दो लेन का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	9.050	2495.070	190.360	2685.430	499.010
4	उरई	उरई	उरई ऐरखास टीकर (अ0जि0 मा0) के किमी0 1(200) से 13(125) में सी0सी0 द्वारा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	11.125	2825.450	260.440	3085.890	565.090
5	सिद्धार्थ नगर	कपिलवस्तु	तेतरी सोहास लोटन मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	19.000	4199.550	335.060	4534.610	839.910
6	सिद्धार्थ नगर	इटवा	झकहिया कठेला मधवापुर कला मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य	17.100	3020.580	278.430	3299.010	604.120
7	सिद्धार्थ नगर	इटवा	शाहपुर सिंगारजोत मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के 0.00 से 22.00 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य	22.000	4142.940	377.890	4520.830	828.590
			कुल योग-	**117.375**	**25362.07**	**2206.11**	**27568.18**	**5072.41**

क्रमशः.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) प्रश्नगत कार्य करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में न रखी जाये। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय किया जायेगा।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्यो हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-1 7(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखा शीर्षक "1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में जमा की जायेगी।

(7) लेबर सेस 01 प्रतिशत की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(8) मूल्य ह्रास निधि 1.50 प्रतिशत की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(9) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(10) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(11) विभाग द्वारा प्रश्नगत परियोजनाओं पर धनराशि नाबार्ड की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय की जायेगी तथा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत गुणवत्तायुक्त निर्माण कार्य कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाय।

क्रमशः.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) प्रश्नगत कार्य हेतु आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगा।

(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें, 337-सड़क निर्माण कार्य, 86-नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था, 00, 24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-2124-दस-2021-22, दिनांक 23 नवम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महेश कुमार)
विशेष सचिव

संख्या उपरोक्त तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- उप महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3- संबंधित जिलाधिकारी ।
4- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन ।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1)/वित्त नियंत्रक, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- संबंधित अधिशासी अभियन्ता।
8- लोक निर्माण अनुभाग-10।
9- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।